

चेक लिस्ट क्र. 27

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone - 07752-400946

243

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 32.790 कि.मी., जिसमें 10.465 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त मार्ग हेतु प्रभावित क्षेत्र में या उसके आसपास किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का स्थल या मूर्ति चिन्ह नहीं है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़ परिक्षेत्र


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कापू परिक्षेत्र


परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

उपमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उपवनमंडल


उपमंडलाधिकारी
लैलूंगा उपवनमंडल


वनपरिक्षेत्राधिकारी
बोरो परिक्षेत्र


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल



कार्यालय कलेक्टर(भू-अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक / 664 / स.अ.भू.अ. / 2020

रायगढ़ दिनांक 12-06-2020

प्रति,

कार्यालय परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना,
लो.नि.वि. बिलासपुर छ.ग.

विषय:-

रायगढ़ जिले के अंतर्गत धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.596 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुननिर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु ऐतिहासिक स्थल होने अथवा न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:-

कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/1650/तक/लोन-3/पी.20/ए.डी.बी./2019-20 बिलासपुर दिनांक 28.12.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में रायगढ़ जिले के अंतर्गत धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.596 कि.मी. के प्रस्ताव उत्थयन एवं पुननिर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत मार्ग के मध्य से दोनों ओर 300-300 मी. की दूरी तक ऐतिहासिक स्थल होने अथवा न होने संबंधी प्रमाण पत्र चाही गई थी।

इस संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के प्रस्तावित सड़क से दोनों ओर 100-300 मी. की दूरी तक ऐतिहासिक स्थल नहीं है।

अपर कलेक्टर
भारतगढ़ (छ.ग.)

724/13/P20
16/6/20

पृष्ठा. क्रमांक 522 / भाग-3 / पी.20 / ए.डो.डी. 2020-21
प्रतिनिधि :-

विद्यार्थी वि.सं. 17 6

[illegible]

Abstract

17/6/20